सं0-2422/62-2-2016-2/3(25)/2016

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 02 दिसम्बर,2016

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक "Per Drop More Crop"- Other Interventions के अन्तर्गत अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-जी-487/ल0सि0/बजट-के0एस0वाई0/2016-17, दिनांक-05.09.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान संख्या-13 के अधीन प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक "Per Drop More Crop"- Other Interventions के अन्तर्गत अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0-5879.00 लाख के सापेक्ष (भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत धनराशि रू0-2300.00 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि रू0-1533.33 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0-3833.33 लाख में से धनराशि रू0-554.33 लाख को घटाते हुए अवशेष धनराशि रू0-3279.33 लाख को राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीक़ृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक "Per Drop More Crop"- Other Interventions की योजना के निर्धारित कम्पोनेन्ट पर किया जायेगा। अन्य किसी मद/योजना में इसका व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर किसी भी दशा में बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण/व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-22.09.2016 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन के संबंध में शासनादेश संख्या-1668/62-2-2016, दिनांक-04.7.2016 में निर्गत विस्तृत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- मासिक व्यय विवरण आगामी माह की	05 तारीख तक
2- प्रारम्भिक व्याधिक तथा बचत विवरण	15-10-2016 तक
3- व्ययाधिक तथा बचत का अंतिम विवरण	15-12-2016 तक
4- वर्ष 2016-17 के आंटन का अंतिम लेखा विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो	15-02-2017 तक
5- आवंटन का समर्पण	15-03-2017 तक

नोटः- दिनांक 15-03-2017 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2- तत्सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन "लेखाशीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-12-प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना-1201-पर ड्राप मोर क्रापके.60/रा.40-के.रा)-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप ,दिनांक-22.03.2016 के क्रम में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के परामर्शानुसार जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-2422(1)/62-2-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
6- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
7- एन0आई0सी0 की प्रति।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।